


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक सेवायें/अधीनस्थ सेवायें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश की पालना में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना-पत्र के आधार पर कार्यमुक्त करें।

क सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	रेखा कुमारी व्या.राजनीति विज्ञान, राउमावि हाजीपुर डेडीकर उमरैण अलवर	अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.2(387) (143)स्था./अरा/2017/962-68 दिनांक 15.01.2018


 (नथमल डिडेल)
 आई.ए.एस.
 निदेशक,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/अनुज्ञा/2018
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

दिनांक: 9/2/2018

- 1 उपशासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 3 अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर
- 4 उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) अलवर
- 6 प्रधानाचार्य, राउमावि हाजीपुर डेडीकर उमरैण अलवर
- 7 संबंधित व्याख्याता
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/सी-ओएसी प्रभाग/संस्थापन एबी
- 9 रक्षित/निजी पत्रावली
10. अनु. अधिकारी कम्प्यूटर एनालिस्ट के


 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर